



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन:- 2705067 फैक्स:- 01412705067, 0141-5150945

website: <http://www.rsos.rajasthan.gov.in> e-mail: rajasthansos@gmail.com

कार्यालय आदेश

राज्य स्तरीय अपील निस्तारण हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)(b) के तहत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के कार्यालय हेतु निम्नांकित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पदनाम
1.	सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर	निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

उक्त लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी सूचना के अधिकार के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों की संबंधित अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।


निदेशक
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर
05/12/18

क्रमांक:प.17(221)सू.अ./2018) 9946-47

दिनांक: 6-12-18.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, शासन उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा (गुप-2), विभाग एवं निदेशक, RSOS, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी।
3. कार्यालय प्रति।


सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर